फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/1/24	कार्य स्थगित 7/3/24 को सुना।
	7/3/24	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादीगण को लांघकाल 6Pm तक बार-बार आवाज लगाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आए। न ही वादी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने के लिए हाजिर अदालत आए। अतः बदवा अदम इन्तजाम अन्तर्गत धारा 145 CPC का अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, [illegible] (R)